रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 1986/भाद्र 9, 1908
No. 407] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 1986/BHADRA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1986

सा. का. नि. 1054 (अ):—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नारियल छिलका नियंत्रण आदेश, 1973 सं. का. आ. 527 (अ), तारीख 29 सितम्बर, 1973 को तुरन्त निम्नलिखित करती है:

परन्तु ऐसे किसी विखण्डन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा—

(क) उक्त आदेश के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या भुक्त कोई बात, या

(ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या

(ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड, या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार,

और ऐसा कोई अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति समहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त आदेश का विखण्डन न हुआ हो।

[सं. 15(59)/78-आईसीसी (कायर)]
जी. वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st August, 1986

G.S.R. 1054(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Coconut Husk Control Order, 1973 issued by the late Ministry of Industrial Development number S.O. 527(E) dated the 29th September, 1973 with immediate effect :

Provided that such rescission shall not affect—

(a) the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered thereunder ;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order ; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order ; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid ;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued, or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order had not been rescinded.

[File No. 15(59)|78-iCC(Coir)]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986